

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र० लखनऊ।

विषय:- जनपद बरेली में रामपुर रोड पर झुमका तिराहे से मिनी बाईपास तिराहे की ओर 06 किमी० लम्बाई में चौड़ीकरण एवं नाला निर्माण सुदृढीकरण कार्य में प्रस्तावित 4.65 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव सं० **FP/UP/ROAD/150166/2021**


संदर्भ:- ऑनलाईन आपत्ति दिनांक 22.12.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित ऑनलाईन आपत्ति दिनांक 21.12.2021 के क्रम में बिन्दुवार आख्या निम्नवत है-

क्रम सं०	आपत्ति का विवरण	उत्तरालेख
01	In B-2.3 village wise breakup has not been mentioned.	वर्णित आपत्ति के क्रम में village wise breakup ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
02	Uploaded KML file is not correct. Kindly correct KML file and upload a justification letter according to gapping of KML file.	उपरोक्त आपत्ति के क्रम में अवगत कराना है कि मार्ग चौड़ीकरण का कार्य चैनेज 236.100 से 242.100 तक अर्थात 6 किमी० की लम्बाई में किया जाना प्रस्तावित है एवं नाला निर्माण का कार्य चैनेज 242.900 से 244.400 तक अर्थात 1.5 किमी० की लम्बाई में किया जाना प्रस्तावित है। अपलोड की गयी के०एम०फाईल के अंतर में चौड़ीकरण का कार्य किया जाना प्रस्तावित नहीं है तदनुसार के०एम०एल० फाईल अपलोड की गयी है।
03	Upload toposheet and geo referenced map according to corrected KML file.	के०एम०एल० फाईल के अनुसार टोपोशीट एवं जियो रिफेन्सड मैप अपलोड कर दिया गया है।
04	In additional information details, upload detail area calculation of forest land.	संरक्षित वन भूमि के विस्तृत क्षेत्रफल की गणना ऑनलाईन अपलोड कर दी गयी है।
05	In additional information details undertaking for minimum trees to be felled has not been uploaded	न्यूनतम वृक्षों के पातन सम्बन्धी वचनबद्धता ऑनलाईन अपलोड कर दी गयी है।

भवदीय,

  
03/01/2022  
सहायक अभियन्ता (आनिल कुमार)  
बरेली विकास प्राधिकरण